कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्याः–1101 / प्र0अ0 / कार्मिक–1 / ई–5 / स्था0–2019, दिनांकः 23 अप्रैल 2019

विषयः–स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत रिक्त पदों एवं उसके सापेक्ष अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अभियन्ताओं की सूची ।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1, सिंचाई विभाग, हल्द्वानी ।
मुख्य अभियन्ता स्तर–2(यांत्रिक) सिंचाई विभाग, देहरादून।
मुख्य अभियन्ता स्तर–2 सिंचाई विभाग, देहरादून / हरिद्वार / रूड़की / श्रीनगर / अल्मोड़ा।

कृपया उपराक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–1002 / प्र0अ0 / कार्मिक–1 / ई–5 / स्था0 2019,दिनांक 12.04.19 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके अधिनस्थ कार्यालयों में कार्यरत समूह–"क" एवं "ख" श्रेणी के अधिकारियों के सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कार्मिकों की सूची एवं रिक्त पदों की सूची आपको प्रेषित करते हुये उत्तराखण्ड की वैबसाइट (uttrakhand irrigation. com) पर अपलोड की गई थी। इस कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 12.04.19 के द्वारा रिक्त पदों की जो सूची निर्गत की गयी है मात्र उन स्थलों में रिक्त पदों के सापेक्ष ही इच्छित स्थान देने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके अधिनस्थ कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों के द्वारा अपने प्रत्यावेदनों में कार्यालयों के नाम से इच्छित स्थान अंकित करते हुये इस कार्यालय को प्रेषित किये गये है जबकि इस कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 12.04.19 के द्वारा तैनाती स्थलों की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने के निदेश हुये है कि आपके अधिनस्थ कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अपने प्रस्तावेदनों में कार्यालयों का नाम न देकर <u>रिक्त तैनाती स्थलों का नाम देना सुनिश्चित करेंगे।</u> जिन प्रत्यावेदनों में रिक्त तैनाती स्थलों के स्थान पर कार्यालय के नाम दिये जायेगे उन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा जिन कार्मिकों द्वारा अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं वह पुनः रिक्त तैनाती स्थलों के अनुसार अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की स्थिति में स्थानान्तरण समिति अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी ।

23/4/19

(टी0एस0मर्तोलिया)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–1)
कृते प्रमुख अभियन्ता
23/4/19